

सेवा में,


प्रबन्धक/प्रधानाचार्य
सनबीम सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल
नारायण पुरम (सिगाड़ी)
मुहम्मदाबाद गोहना-मऊ।

अप० 22/2021

02/07/2021


आप द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से विद्यालय भवन नेशनल बिल्डिंग कोड (एन.बी.सी.) 2005 के अन्तर्गत प्रमाण पत्र की मांग की गई है।

अतः उक्त के क्रम में आपके प्रतिष्ठान/संस्थान का निरीक्षण किया गया, निरीक्षणोपरान्त पाया गया कि निर्मित विद्यालय भवन नेशनल बिल्डिंग कोड (एन.बी.सी.) 2005 के अनुरूप बना है।


अवर अभियन्ता

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
प्रखण्ड-मऊ।


Manager
Sunbeam Senior Secondary Sch.:
M. Bad Gohna-Mau


Principal
Sunbeam Senior Secondary School
M. Bad Gohna-Mau

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)
अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण पत्र
(Fire & Life Safety Certificate)

यूआईडी संख्या: UPFS/2019/9906/MAU/MAU/65/CF0

दिनांक: 19-07-2019

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **SUNBEAM SENIOR SECNDARY SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **406, SIGARI, MAU** तहसील - **MOHAMMDABAD** जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
SUNBEAM SENIOR SECNDARY SCHOOL	3	0	10.06 mt.

तथा प्लॉट एरिया **6280.00 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **SUNBEAM SENIOR SECNDARY SCHOOL** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण **मुख्य अग्निशमन अधिकारी** द्वारा दिनांक **02-08-2019** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **PANKAJ KUMAR SINGH** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण पत्र (Fire & Life Safety Certificate) (एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **02-08-2019** से **01-08-2022** तक **3 वर्ष** के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

निर्गत किये जाने का दिनांक: **02-08-2019**

स्थान: MAU

हस्ताक्षर-

निर्गमन अधिकारी-

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By

(**SUBHASH KUMAR**)

[8C2A7793E1423A163CED2626BD65D1C9DEB3C86A]

02-08-2019

Pankaj Kr. Singh

Manager

Sunbeam Senior Secondary School
M. Bad Gohna-Mau

Subhash Kumar

Principal

Sunbeam Senior Secondary School
M. Bad Gohna-Mau

CERTIFICATE OF LAND

File No. 1245/2019

Date: 06/10/2019

Certified that land measuring 6280sq mtrs (1570+4710) as mention below:-

1. Land measuring 1570sq mtrs (0.157Hect) is situated in Arazi No. 406 Mauza Sigari Pargana and Tehsil Muhammadbad, Gohna Dist. Mau (U.P.) fully described in the schedule mentioned here in after, is owned by Pankaj Kumar Singh at Mauza Sigari Pargana and Tehsil Muhammadbad, Gohna Dist. Mau (U.P.) in term of gift deed. It is further certified that owner of land has lease the said land to Sunbeam Senior Secondary School at Mauza Sigari Pargana and Tehsil Muhammadbad, Gohna Dist. Mau (U.P.) from dated 27/07/2017 to 26/07/2046 for a period of 2009 years wide lease deed dated 25/07/2017 at Serial No. 2481 in book No. 01 Volume No. 3123 on Page 343 to 370. In the office of Sub Registrar Muhammadabad Gohna, Mau (U.P.).
2. Land measuring 4710 sp mtrs (0.4710 Hect) situated in Arazi No. 399, 405, 406, 407, 432 and 433 at Mauza Sigari Pargana and Tehsil Muhammadbad, Gohna Dist. Mau (U.P.) fully described in the schedule mentioned here in after, is owned by Hirday Narayan Singh S/o Devi Saran Singh, Asha Devi W/o Hirday Narayan Singh Sigari Pargana and Tehsil Muhammadbad, Gohna Dist. Mau (U.P.) and Maturrahman Urf Motiur Rahman S/o Mozibullah Urf Munnib Ahmad Mahtabpur Halimabad Pargana and Tehsil Muhammadabad Gohna Dist. Mau (U.P.) in term of gift deed. It is further certified that owner of the lands has leased the said land to Sunbeam Senior Secondary School at Mauza Sigari Pargana and Tehsil Muhammadbad, Gohna Dist. Mau (U.P.) from 03/10/2019 to 02/09/2049 for a period of 29 years 11 months wide lease deed dated 04/10/2019 at Serial No. 2632 in Book No. 01 Volume No. 3760 on page 85 to 118. In the office of Sub Registrar Muhammadbad, Gohna Dist. Mau (U.P.)

It is certified that the all above said land i.e 1570sq mtrs + 4710sq mtrs is = 6280sq mtrs comprises of a single plot of land. It is certified that Sunbeam Senior Secondary School at Mauza Sigari Pargana and Tehsil Muhammadbad, Gohna Dist. Mau (U.P.) is located on the said plot of land.

THE SCHEDULE OF LAND ABOVE REFERED TO

All that piece and parcel of land measuring 6280sq mtrs is situated in is Arazi No. 406, 399, 405, 406, 407, 432 and 433 Mauza Sigari Pargana and Tehsil Muhammadbad, Gohna Dist. Mau (U.P.) and bounded as follows:

East	-	Chack Marg
West	-	Gram Samj Ki Jamin
North	-	Chack Marg
South	-	Road

(Signature)
Principal

Sunbeam Senior Secondary School
M. Bad Gohna-Mau

(Signature)
Manager
Sunbeam Senior Secondary School
M. Bad Gohna-Mau
A.K. Rai

Sub-Registrar

Mohammadabad Gohna - Mau



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

CBSE/RO/Alld/Exam-X/Gr-II/2020/Sch. No. 71605

Dated : 02.09.2020

THE PRINCIPAL (71605)
SUNBEAM SENIOR SECONDARY SCHOOL
VILL SIGARI POST KOLAURA
MOHAMMADABAD GOHNA
MAU – 276403
UTTER PRADESH

SUB.: GENERAL AFFILIATION UP TO SECONDARY LEVEL-REGARDING.

Sir/Madam,

This has reference to CBSE letter no. **CBSE/AFF/2133431/SL-01208-2021/2020-21** Dated **18.08.2020** whereby Provisional Affiliation for **Secondary School Examination** of the Board for a period of **three years w.e.f. 01.04.2020 to 31.03.2023** has been granted to your school. Being a newly affiliated school situated under jurisdiction of CBSE Regional Office, Allahabad, your school has been allotted School No. **71605** for further correspondence and control. You are requested to mention the school number on each communication made with this office in view of ensuring prompt/proper disposal of Dak/request accordingly.

This office expects that school must follow the provisions as prescribed in the Affiliation Bye-Laws of the Board including instructions contains in examination bye-laws and issued by the Board from time to time. For this, Head of the Institution must motivate and encourage the teachers and other staff for thorough study of the Bye-Laws, rules/provisions and syllabus/curriculum of the Board. You are requested to follow the latest instructions/ Circular No. Acad-05/2017 dated 31.01.2017 regarding Restoring of Class X Board Examination with effect from the Academic Year 2017-18 onwards in the larger academic interest of the students.

The school is further required to introduce; Admission Form, Transfer Certificate & Admission Withdrawal Register (to maintain complete records of the student) for which a copy of sample formats of the same are enclosed for implementation in view of maintaining complete records of the student concern as well as uniformity of the documents among the schools.

Besides above, to ensure accuracy and speedy communication including submission of the Data pertaining to students, examination upto Secondary Level as well as other communication too, the Board has introduced submission of the data through Online. Therefore, you are requested to provide & registered e-mail ID of the school, telephone no. & fax no. including mobile no. of the Head of the Institution to the undersigned within a week's time from the receipt of this letter for updation of the particulars at this end. This helps the Board to prompt communicate with school as per requirement.

You may also submit a compliance report with regard to special conditions laid down at point No. 47 of affiliation letter, to Affiliation unit under intimation to the undersigned within the prescribed time.

As per the para 3 of your affiliation latter, OASIS data must be required to submit within prescribed time frame. Hence you are also advised to submit the same within prescribed time, failing which penalty will be charged as deemed fit and no further communication will be entertained in this regard.

➤ Link for OASIS is available on Board's website: www.cbse.nic.in.

Yours Sincerely,

Abhishek Singh
Analyst (Exam)

Encls : As above.

Tankaj Kr. Singh
Manager



Sunbeam Senior Secondary School

Regional Office, All India Council for Educational Research, Civil Lines, Allahabad - 211001 (U.P.)
फोन / Telephone : 2407970, 2408971, 2407972
ई-मेल / E-mail : roallahabad.cbse@nic.in

Subi Ch...
Principal

Sunbeam Senior Secondary School
M Bad Gonna - Mau

SELF - CERTIFICATION PROFORMA

Category of application : Upgradation to Senior Secondary Level		
I (i) Hasibur Rahman (Principal) of the school SUNBEAM SR SEC SCH SIGARI KOLAURA SIGARI MAU UP certify that :		
1	The following uploaded documents are genuine and valid	
*	No Objection Certificate No.: NA	
*	Trust/Society/Company Registration No.: 11	
*	Trust/Society/Company Registration Issuing Authority : SUB REGISTRAR	
*	Recognition Certificate No.: 9439-43/2018-19	
*	Recognition Issuing Authority : JILA BASIC SHIKSHA ADHIKARI MAU	
*	Recognition Expiry Date:	
*	Fire Safety Certificate No.: UPFS/2019/9906/MAU/65/CFO	
*	Fire Safety Certificate Issuing Authority : CFO MAU	
*	Fire Safety Certificate Expiry Date: 01/08/2022	
*	Building Safety Certificate No.: 221/2021	
*	Building Safety Certificate Issuing Authority : AWAR ABHIYANTA GRAMIN ABHIYANTRAN VIBHAG PRAKHAND MAU	
*	Building Safety Certificate Expiry Date: 01/07/2022	
*	Land Certificate No: 1245/2019	
*	Land Certificate Issuing Authority: Sub-Registrar	
*	Land Certificate is in name of School/Society/Trust/Company duly signed by authorized signatory	
2.	That mandatory disclosure has been displayed on the school's website and it's link has been filled in the Part A of the application	
3.	That as per norms sufficient numbers of room/s and well equipped Laboratories for Physics, Chemistry, Biology are for available for senior secondary classes.	
4.	That we have uploaded/submitted all the self-attested documents/ information on the School's Web-Portal and link in the application and the same are true and genuine.	
5.	Submission of wrong system Generated DEO Certificate / Self-undertaking Certificate or deliberate misrepresentation or fraud may result in summarily rejection of Application.	
6.	Submission of fraudulent/deliberate misrepresentation/fraud undertaking with intent to obtain affiliation through wrongful means may also lead to penal action against Principal, Manager and authorized signatory of Society.	
Name and Signature(s) :		
 PANKAJ KUMAR SINGH Principal	Digitally signed by PANKAJ KUMAR SINGH Date: 2021.10.29 19:46:34 +05'30' Authorized signatory of Trust/Society/Company	 Pankaj Kumar Singh Manager Sunbeam Senior Secondary School M. Bad Gohna-Mau Manager/ Authorised Signatory
Date :29/10/2021		Place : MAU , UTTAR PRADESH

This document is to be digitally signed by the Secretary of the Society/ Trust/ Company.

Pankaj Kumar Singh

Manager
Sunbeam Senior Secondary School
M. Bad Gohna-Mau

Hasibur Khan

Principal
Sunbeam Senior Secondary School
M. Bad Gohna-Mau

Mandatory Public Disclosure

A : GENERAL INFORMATION :

SL No.	INFORMATION	DETAILS
1	NAME OF THE SCHOOL	SUNBEAM SR SEC SCH SIGARI KOLAURA SIGARI MAU UP
2	AFFILIATION NO.(IF APPLICABLE)	2133431
3	SCHOOL CODE (IF APPLICABLE)	71605
4	COMPLETE ADDRESS WITH PIN CODE	SUNBEAM SENIOR SECONDARY SCHOOL, VILL SIGARI POST KOLAURA, MOHAMMADABAD GOHNA SIGARI, MAU, - 276403
5	PRINCIPAL NAME	FRAHIM KHAN
6	PRINCIPAL QUALIFICATION	M.A. B.Ed
7	SCHOOL EMAIL ID	sunbeamgohna@gmail.com
8	CONTACT DETAILS (LANDLINE/MOBILE)	9044188188

B : DOCUMENTS AND INFORMATION:

SL No.	DOCUMENTS/INFORMATION	LINKS OF UPLOADED DOCUMENTS ON YOUR SCHOOL'S WEBSITE
1	COPIES OF AFFILIATION/UPGRADATION LETTER AND RECENT EXTENSION OF AFFILIATION, IF ANY	http://www.sunbeammau.com
2	COPIES OF SOCIETIES/TRUST/COMPANY REGISTRATION/RENEWAL CERTIFICATE, AS APPLICABLE	http://www.sunbeammau.com
3	COPY OF NO OBJECTION CERTIFICATE (NOC) ISSUED, IF APPLICABLE, BY THE STATE GOVT./UT	http://www.sunbeammau.com
4	COPIES OF RECOGNITION CERTIFICATE UNDER RTE ACT, 2009, AND IT'S RENEWAL IF APPLICABLE	http://www.sunbeammau.com
5	COPY OF VALID BUILDING SAFETY CERTIFICATE AS PER THE NATIONAL BUILDING CODE	http://www.sunbeammau.com
6	COPY OF VALID FIRE SAFETY CERTIFICATE ISSUED BY THE COMPETENT AUTHORITY	http://www.sunbeammau.com
7	COPY OF THE DEO CERTIFICATE SUBMITTED BY THE SCHOOL FOR AFFILIATION/UPGRADATION/EXTENSION OF AFFILIATIONOR SELF CERTIFICATION BY SCHOOL	http://www.sunbeammau.com
8	COPIES OF VALID WATER, HEALTH AND SANITATION CERTIFICATES	http://www.sunbeammau.com

NOTE: THE SCHOOLS NEEDS TO UPLOAD THE SELF ATTESTED COPIES OF ABOVE LISTED DOCUMENTS BY CHAIRMAN/MANAGER/SECRETARY AND PRINCIPAL. IN CASE, IT IS NOTICED AT LATER STAGE THAT UPLOADED DOCUMENTS ARE NOT GENUINE THEN SCHOOL SHALL BE LIABLE FOR ACTION AS PER NORMS.

C : RESULT AND ACADEMICS :

SL No.	DOCUMENTS/INFORMATION	LINKS OF UPLOADED DOCUMENTS ON YOUR SCHOOL'S WEBSITE
1	FEE STRUCTURE OF THE SCHOOL	http://www.sunbeammau.com
2	ANNUAL ACADEMIC CALENDER	http://www.sunbeammau.com
3	LIST OF SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE (SMC)	http://www.sunbeammau.com
4	LIST OF PARENTS TEACHERS ASSOCIATION (PTA) MEMBERS	http://www.sunbeammau.com
5	LAST THREE-YEAR RESULT OF THE BOARD EXAMINATION AS PER APPLICABILITY	http://www.sunbeammau.com

D : STAFF (TEACHING) :

SL No.	INFORMATION	DETAILS
1	PRINCIPAL	FRAHIM KHAN

2	TOTAL NO. OF TEACHERS	24
	PGT	8
	TGT	8
	PRT	8
3	TEACHERS SECTION RATIO	1.5
4	DETAILS OF SPECIAL EDUCATOR	AJEET KUMAR SINGH
5	DETAILS OF COUNSELLOR AND WELLNESS TEACHER	DANISH ZEHRA

RESULT CLASS: X

SL No.	YEAR	NO. OF REGISTERED STUDENTS	NO. OF STUDENTS PASSED	PASS PERCENTAGE	REMARKS
1					

RESULT CLASS: XII

SL No.	YEAR	NO. OF REGISTERED STUDENTS	NO. OF STUDENTS PASSED	PASS PERCENTAGE	REMARKS
1					

E : SCHOOL INFRASTRUCTURE:

SL No.	INFORMATION	DETAILS
1	TOTAL CAMPUS AREA OF THE SCHOOL (IN SQ MTR)	6280
2	NO. AND SIZE OF THE CLASS ROOMS (IN SQ MTR)	20 & 143
3	NO. AND SIZE OF LABORATORIES INCLUDING COMPUTER LABS (IN SQ MTR)	6 & 200
4	INTERNET FACILITY	YES
5	NO. OF GIRLS TOILETS	8
6	NO. OF BOYS TOILETS	8
7	LINK OF YOUTUBE VIDEO OF THE INSPECTION OF SCHOOL COVERING THE INFRASTRUCTURE OF THE SCHOOL	https://www.youtube.com/watch?v=Dn-HhxlzQtY

Tankaj Kr Singh
Manager
Sunbeam Senior Secondary School
M. Bad Gohna-Mau

Prachi Khosla
Principal
Sunbeam Senior Secondary School
M. Bad Gohna-Mau

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
आजमगढ़ मण्डल आजमगढ़

सेवा में,

प्रबन्धक,

सनबीम सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल,
नरायनपुरम, (सिगारी) - मऊ (उ०प्र०)

पत्रांक : 416/51-52 / 2018-19

दिनांक : 09/05/2019

विषय : उत्तर प्रदेश के शासन के शासनादेश संख्या- 1916/15-7-09-2009-299/2007 शिक्षा (7) अनुभाग, लखनऊ दिनांक 14 जुलाई 2009 के अधीन माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं को काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली/सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एंजुकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र।

महोदय,

उपयुक्त विषयक शासनादेश संख्या- 1916/15-7-09-2009-299/2007 शिक्षा (7) अनुभाग, लखनऊ दिनांक 14 जुलाई 2009 के अधीन माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं को काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली/सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एंजुकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है।

उक्त के सम्बन्ध में आप के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर जिला अधिकारी मऊ द्वारा भूमि एवं भवन की जाँच तथा संयुक्त शिक्षा निदेशक, आजमगढ़ मण्डल आजमगढ़ के द्वारा निरीक्षण किये जाने के उपरान्त शासन द्वारा निर्गत राजाज्ञा सं०- 1916/15-7-09-2009-299/2007 शिक्षा (7) अनुभाग, लखनऊ दिनांक 14 जुलाई 2009 में उल्लेखित प्रवधानों के अन्तर्गत एतद्द्वारा सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एंजुकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है। उक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के भविष्य में विद्यमान रहने के अधीन होगी।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों को पूरा किये जाने के अध्याधीन है :-

1. उपरोक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र 3 वर्ष के लिए मान्य होगा। उक्त के द्वारा संस्था 3 वर्ष के उपरान्त प्रमाण पत्र का नविनीकरण कराने के लिए संस्था बाध्य होगी।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबन्ध-1) और उ०प्र० निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियमावली 2010 (उपबन्ध-2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रिनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
4. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानको और सनियमों को बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय विद्यालय का भूमि भवन एवं प्रसुविधाएं मानक के अनुरूप पायी गई।
5. विद्यालय सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एंजुकेशन, नई दिल्ली के मानको को पूर्ण करता है तथा इसे बनाए रखेगा।
6. विद्यालय परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जयेगी।
7. विद्यालय भवन या अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।
8. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समुह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

42
9.5.19

9. लेखाओं की समपरीक्षा (आडिट) और प्रमाणन किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा किया जाना चाहिए और नियमानुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रतिवर्ष संयुक्त शिक्षा निदेशक को प्रसित की जानी चाहिए।
10. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सुचना प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर संयुक्त शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो/और समुचित सरकार/स्थानिय प्राधिकार के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने एवं विद्यालय की कमियों को दूर करने के लिए जारी किया जाये।
11. विद्यालय सरकार द्वारा निर्दिष्ट पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
12. विद्यालय प्रबन्धन/न्यास और कर्मचारी वर्ग समय-समय पर जारी किये गये राज्य सरकार के आदेशों का अनुपालन करेगा।
13. संलग्न उपबंध के अनुसार अन्य को शर्त।

भवदीय

9.5.19

श्रीमती (ए०पी०वर्मा)
संयुक्त शिक्षा निदेशक,
आजमगढ़ मण्डल आजमगढ़

पृ०सं० व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि- निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उ०प्र० लखनऊ।
2. मण्डलायुक्त आजमगढ़।
3. सचिव सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एंजुकेशन, नई दिल्ली।
4. जिलाधिकारी मऊ।
5. जिलाविद्यालय निरिक्षक मऊ।

श्रीमती (ए०पी०वर्मा)
संयुक्त शिक्षा निदेशक,
आजमगढ़ मण्डल आजमगढ़

Tankaj K. Singh

Manager

Sunbeam Senior Secondary School
M. Bad Gohna-Mau

Anshu K. Singh

Principal

Sunbeam Senior Secondary School
M. Bad Gohna-Mau

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
मऊ।

सेवा में,

प्रबंधक,
सनबीम सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल,
नरायनपुरम, (सिगारी) मऊ।

पत्रांक/ 9739-43 /2018-19

दिनांक 25.02.2019

विषय:-निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 31.07.2018 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से सनबीम सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल नरायनपुरम, (सिगारी) मऊ को तारीख 01.07.2018 से तारीख 30.06.2021 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा प्री-प्राइमरी से कक्षा 08 तक के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्याधीन है:-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई दाय्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूरितियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैंपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :
 - (1) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा;
 - (2) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जाएगा।
 - (3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ;
 - (4) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अभिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा ;
 - (5) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना ;
 - (6) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परंतु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएँ नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएँ अर्जित करेंगे ;
 - (7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है ;
- और
- (8) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियमों की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानको और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार :-
विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल
कुल निर्मित क्षेत्र
क्रीडा-स्थल का क्षेत्रफल
कक्षाओं की संख्या
प्रध्यापक-सह कार्यालय-सह भांडागार के लिए कक्ष
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय
पेयजल सुविधा
मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई
बाधारहित पहुच
अध्यापक पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूल उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता
9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यताप्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जाएगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूल या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित यथा कोड संख्याक..... है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा, जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित की जायें और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का अनुपालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों की निरन्तर पूर्ति को सुनिश्चित करने हेतु या विद्यालय की कार्यप्रणाली की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जाये।
16. सोसाइटी के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
17. विद्यालय प्रबंधन/न्यास और कर्मचारी वर्ग समय-समय पर जारी किये गये राज्य सरकार के आदेशों का अनुपालन करेगा।
18. संलग्नक उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्तें।

भवदीय

25/12/19
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मऊ।

पृ०सं० / /2018-19 तदिनांक।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में सूत्रनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर शिक्षा निदेशक (बे०) शिक्षा निदेशालय उ०प्र० इलाहाबाद।
2. सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद।
3. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे०) आजमगढ़ मण्डल आजमगढ़।
4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, मुहम्मदाबाद, मऊ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मऊ।


Tankajkr Singh
Manager

Sunbeam Senior Secondary Sc:
M. Bad Gohna-Mau

Prashin Khans
Principal

Sunbeam Senior Secondary School
M Bad Gohna-Mau

11/15



उत्तर प्रदेश **UTTAR PRADESH** दस्तावेज ट्रस्ट (न्यास पत्र)

BZ 529803

हम कि पंकज कुमार सिंह पुत्र श्री हृदय नारायण सिंह ग्राम-सिगाड़ी , पो0-कोलौरा, जिला मऊ (उ0प्र0) इस ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी है जो दिनांक 01/02/2015 को अस्तित्व में लाया गया । हम संस्थापक ट्रस्टी राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय, आध्यात्मिक एवं सामाजिक सेवा जिसमें मुख्य रूप से राष्ट्रप्रेम, पर्यावरण , सुरक्षा, जागरुकता, शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, गरीबों के उत्थान एवं अन्य पिछड़ी जाति व अनुसूचित जाति के लोगों का उत्थान करने में विशेष रुचि रखने के कारण इस ट्रस्ट की स्थापना करते हैं । हम पंकज कुमार सिंह पुत्र श्री हृदय नारायण सिंह - मुख्य ट्रस्टी "आशा नारायण एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट" के स्थापना की घोषणा करते हैं। ट्रस्ट का नाम, पता निम्नवत् है:-

ट्रस्ट का नाम : "आशा नारायण एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट"
 कार्य-क्षेत्र : सम्पूर्ण भारतवर्ष
 कार्यालय : आजीवन
 ट्रस्ट का पता : ग्राम - सिगाड़ी
 पोस्ट - कोलौरा
 तहसील - मुहम्मदाबाद गोहना
 जनपद - मऊ (उ0प्र0)

मुख्यालय : पंजीकृत कार्यालय: ग्राम - सिगाड़ी, पोस्ट- कोलौरा, तहसील मुहम्मदाबाद गोहना
 जनपद - मऊ (उ0प्र0)
 आवश्यकतानुसार स्थानान्तरित किया जा सकता है।

क्रमशः —2/- पर

Ranjay Kr Singh



Ranjay Kr Singh
Manager
 Sunbeam Senior Secondary School
 M. Bad Gohna-Mau

(Handwritten Signature)
Principal


Sunbeam Senior Secondary School
 M. Bad Gohna-Mau

no 10178

no 10165

no no 10165

[Handwritten signature]
2-2-15



बही नं० IV जिल्द.....bd.....के पृष्ठ 227 से नं० 11.....
पर आज दिनांक 3-2-2015 को रजिस्ट्री की गई।

[Handwritten signature]
उपनिबंधक
मुंबाद गोहना, मऊ



[Faint mirrored text from the reverse side of the paper]
Principal
M. Bad Gohna-Man
Guhnam Senior Secondary School

[Faint mirrored text from the reverse side of the paper]
Manager
M. Bad Gohna-Man
Guhnam Senior Secondary School



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CD 393876

(2)

ट्रस्ट का नाम : "आशा नारायण एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट"

ट्रस्ट का पता : ग्राम - सिगाड़ी, पोस्ट - कोलौरा, तहसील - मुहम्मदाबाद गोहना
जनपद - मऊ (उ०प्र०)

ट्रस्ट मुख्यालय : ग्राम - सिगाड़ी, पोस्ट - कोलौरा, तहसील - मुहम्मदाबाद गोहना
जनपद - मऊ (उ०प्र०)

ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य : 1. ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य भिन्न-भिन्न स्थान पर अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम की शिक्षण संस्थाएँ यानि प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च शिक्षा स्तरीय विद्यालय, शैक्षणिक विद्यालय, चिकित्सा शिक्षा, मेडिकल कालेजों एवं अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों आदि की स्थापना करना। ग्रामीण अंचल में मध्यम व कमजोर वर्ग के साथ - साथ दलितों को उनके उत्थान हेतु कार्य करना। पाठ शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा व इंजीनियरिंग कालेजों व विभिन्न खेलों की व्यवस्था एवं संचालन करना। शिक्षा को देश-प्रदेश के कोने-कोने में प्रकाश फैले इसके लिए हर सम्भव कार्य करना। संस्थानों की स्थापना करना, तथा कमजोर वर्ग के प्रतिभावान बच्चों के लिए ट्रस्ट हरसम्भव प्रयत्न करेगा। ट्रस्ट भूमि, भवन व पूँजी की व्यवस्था कर देश-प्रदेश के किसी भी स्थान पर शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करके शिक्षा के माध्यम से निधन, मध्यम एवं दलितों को आत्मनिर्भर कर उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाना। लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना करना एवं उसका संचालन करना, विद्यालय, अनाथालय, छात्रावास, सांस्कृतिक, वृद्धाश्रम, संस्था आदि की स्थापना करना एवं संचालन करना। नारी उत्थान, बालोत्थान, कुष्ठरोगी, अस्पताल, प्रेस की स्थापना एवं संचालन करना। सामाजिक पत्रिका, अखबार, लाइब्रेरी, कला केन्द्र, उद्यान, साहित्य आदि संस्थाओं को खोलना एवं संचालन करना। वॉलिंग होम की स्थापना करना, ट्रस्ट दैवीय आपदा में जिला व

क्रमशः —3/- पर

Tankaj Kr. Singh



Tankaj Kr. Singh

Manager
Sunbeam Senior Secondary School
M. Bad Gohna-Mau

Principal


Principal
Sunbeam Senior Secondary School
M. Bad Gohna-Mau

2010177

400/60
om no 10165

3-2-15

इसमें अती पास में-73
मुहम्मदाबाद कोड



Principal
Sunbeam Senior Secondary School
M. Bad Gohna-Man

Manager
Sunbeam Senior Secondary School
M. Bad Gohna-Man



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CD 393877

(3)

राज्य प्रशासन का साधन से समय-समय पर आवश्यकतानुसार सहायता करेगा। ट्रस्ट सहकारी, अर्द्धसहकारी भूमि पर जिला व राज्य प्रशासन व राष्ट्रीय समन्वय स्थापित कर कल्याणकारी योजनाओं का भी संचालन करेगा। किसी निजी भूमि को क्रय - विक्रय करना तथा आवश्यकतानुसार इस ट्रस्ट से संचालित संस्था को लीज (पट्टा) पर देना एवं बी०टी०सी०, बी०एड०, बी०पी०एड०, टेक्निकल, कालेज, बी०बी०एस०ई०, सी०बी०एस०ई०, आई०सी०एस०ई० बोर्ड के स्कूलों की स्थापना उ०प्र० सरकार एवं भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली समस्त शैक्षणिक आवासीय एवं सामाजिक संस्थाओं की स्थापना करना तथा संचालन करना।

देश - विदेश से चंदा आदि प्राप्त करना एवं ट्रस्ट के माध्यम से खर्च करना, ट्रस्ट के माध्यम से भविष्य में अन्य जो भी संस्थाएँ खोली जायेगी उनका नाम ट्रस्ट की कार्यकारिणी द्वारा तय किया जायेगा। गैर सरकारी संगठन (एन०जी०ओ०) के राजकीय, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय समस्त कार्यों का सम्पादन करना। शिक्षा के उत्थान हेतु सी०बी०एस०ई०, आई०सी०एस०ई०, बी०बी०एस०ई० व कान्वेन्ट विद्यालयों एवं अन्य प्रकार के अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की स्थापना एवं संचालन करना। भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा संचालित कार्यों में कार्यदायी संस्था के रूप में सहभागिता करना तथा उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए देशी - विदेशी संस्थाओं से दान- अनुदान प्राप्त करके जनहित में कार्य करना। बी०टी०सी०, बी०एड०, बी०पी०एड०, टेक्निकल, कालेज की स्थापना करना एवं राज्य तथा भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली समस्त शैक्षणिक आवासीय एवं सामाजिक संस्थाओं की स्थापना करना तथा संचालन करना। जरूरत पड़ने पर परिवर्तन ट्रस्टी के अधिकार होगा। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13(1) तथा धारा 11(5) एवं सम्बन्धित नियमों के अनुरूप न्यास का धन विभिन्न योजनाओं में लगाना।

2. ग्राम विकास अभिकरण गतिविधियों का संचालन करना।
3. खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की योजनाओं का संचालन करना।
4. कृषि कार्य हेतु बंजर भूमि का सुधार एवं कटाव रोक कर जल संरक्षण एवं नमी संरक्षण करना।

Pankaj K Singh

क्रमशः —4/- पर



Pankaj K Singh

Manager
Sunbeam Senior Secondary School
M. Bad Gohna-Mau

Principal

Sunbeam Senior Secondary School
M. Bad Gohna-Mau

20/01/76

2015


2015/01/20

Handwritten signature and date 2-2-15



M. Bad Gohns-Man
Manager
Subram Senior Secondary School

M. Bad Gohns-Man
Manager
Subram Senior Secondary School



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CD 393878

(4)

5. उद्यानीकरण एवं जंगलात का विकास करना ।
6. महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य सहयोग हेतु विविध कार्यक्रम संचालित करना ।
7. प्रतियोगात्मक परीक्षाओं की तैयारी हेतु संस्थाओं की स्थापना करना ।
8. कृषि संगीत संबन्धित आदि विषयों की शिक्षा तथा उसके विकास हेतु संस्थान की स्थापना करना ।
9. केन्द्र सरकार के सभी विभागों मानव संसाधन, समाज कल्याण, नाबार्ड, कपार्ट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, महिला कल्याण, नहर युवा केन्द्र, खेलकूद युवा कल्याण, ग्राम विकास मंत्रालय आदि सभी विभागों के कार्यक्रम का संचालन करना ।
10. आई0आई0टी0, आई0टी0आई0, फार्मसी, नर्स ट्रेनिंग, आक्वेशन, टेक्नशियन, लैब टेक्नशियन, व.....आदि मेडिकल कालेजों एवं इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना एवं संचालन करना ।
11. समाज के लोगों के लिए हास्टल नर्सिंग होम स्वास्थ्य केन्द्र कम्पनी फर्म इत्यादि की व्यवस्था करना ।
12. पुस्तकालय, वाचनायल..पत्र/ पत्रिकाओं,समाचार-पत्रों इत्यादि का प्रकाशन मुद्रण, बिक्री एवं मूल्य का निर्धारण करना , समाचार-पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन भी करना ।
13. अन्धे , गूंगे, बहरे , असहाय लोगों के लिए शिक्षा चिकित्सा आवास भोजन इत्यादि की व्यवस्था के लिए हर सम्भव प्रयास करना ।
14. विभिन्न विषयों एवं पठ्यक्रमों तथा व्यवहारिक प्रायोगिक कला, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक, क्रीडा, मार्शल आर्ट, संगीत, तकनीकी, सामाजिक, आधुनिक,भाषा अंग्रजी, उर्दू, अरबी, कम्प्यूटर प्रोफेशनल आदि विषयों का विभिन्न स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना ।
15. विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में छात्र-छात्राओं को सफल बनाकर स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन, अध्यापन आवास आदि संविधाओं का व्यवस्था करना ।
16. पुस्तकों साहित्य पत्रों, पाठ्यक्रमों आदि का सृजन सम्पादन, प्रकाशन मुद्रण वितरण आदि कर सकना ।
17. सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यावरण कार्यक्रम, चिकित्सा जागरूकता कार्यक्रम अधिवेशन, गोष्ठियों, सम्मेलन प्रतियोगिताएं बैठकें विशेष कक्षाएं सत्र प्रोत्साहन कार्यक्रम आदि आयोजित कर सकना ।
18. सिलार्ड, कढ़ाई, बुनाई, स्क्रीन प्रिंटिंग आदि की शिक्षा एवं व्यवस्था करना ।
19. व्यक्ति विशेष अन्य सोसायटी ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों विधि महाविद्यालयों मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेजों को अपने ट्रस्ट में समायोजित कर सकना ।
20. ट्रस्ट के उद्देश्यों को पूर्ण हेतु विभिन्न राष्ट्रीय हेतु अन्तरराष्ट्रीय संगठनों संस्थाओ व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त कर सकना अथवा प्रदान कर सकना ।

क्रमशः ---5/- पर

Tankaj Kr Singh



Tankaj Kr Singh
Manager
Sunbeam Senior Secondary School
M. Bad Gohna-Mau

Sunbeam
Principal
Sunbeam Senior Secondary School
M. Bad Gohna-Mau

7010175

440 / 50
5610165

Handwritten signature
2-2-15



Principal
Sunbeam Senior Secondary School
M. Bad Gohna

Manager
Sunbeam Senior Secondary School
M. Bad Gohna



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CD 393879

(5)

21. विधि सम्मति उपयोगी जानकारी का प्रचार एवं प्रसार कर सकना ।
22. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार-प्रसार कर सकना ।
23. कृषि उपयोगी कार्य कर सकना व उसका प्रचार-प्रसार कर सकना ।
24. पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास कर सकना एवं पर्यावरण सुधार जानकारी दे सकना एवं सेमिनार कर सकना ।
25. व्यक्ति विशेष , अन्य सोसायटी ट्रस्ट द्वारा संचालित करना उनको इस ट्रस्ट में समायोजित करना ।
26. पुस्तक , पुस्तिकाएं, पत्र पत्रिकाएं समाचार-पत्र आदि का प्रकाशित, सम्पादित वितरण विक्री कर सकना ।
27. ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं / वस्तुओं के लिए सभुधित शुल्क/ शुल्क/ निर्धारित करना तथा प्राप्त करना ।
28. पत्राचार द्वारा अध्यापन, अध्ययन को प्रोत्साहित कर सकना तथा तत्सविधित आवश्यक व्यवस्थार्ये कर सकना ।
29. उपभोक्ता अधिकार , पर्यावरण सुधार , उसर जैसे सामाजिक दायित्व के विषय पर चेतना जागृत करने हेतु कार्य कर सकना ।
30. धार्मिक स्थलों का निर्माण व जिर्णोधर कर सकना ।
31. जन कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर सकना तथा क्रियान्वयन कर सकना ।
32. विभिन्न आयोजनों एवं कारणों हेतु पुरस्कार सहायता एवं वित्तीय सहायता, स्मृति चिन्ह आदि प्रदान कर सकना ।
33. विभिन्न संस्थाओं, विद्यालयों महाविद्यालयों, विधि महाविद्यालयों, भडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कॉलेजों टेक्निकल कालेजों, प्रतिष्ठानों के विशेषाधिकार प्राप्त कर सकना तथा अपने विशेषाधिकार अन्य को प्रदान कर सकना ।
34. ट्रस्ट के कोष एवं सम्पदा में वृद्धि करना, विनियोजन करना तथा उसका ट्रस्ट के उद्देश्यों में प्रयोग करना ।
35. ट्रस्ट जन सामान्य के द्वितीय कार्य करेगा । ट्रस्ट तथा सम्भव अपनी सेवाएँ/ वस्तुएं लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा । ट्रस्ट द्वारा जनहित में सड़क, खडंजा, तालाबों का निर्माण मडली पालन, पशुपालन आदि का प्रचार-प्रसार कर सकना ।
36. ट्रस्ट केवल वित्तीय लाभ के लिए ही कार्य नहीं करेगा । जनकल्याण की भावना एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी कार्य करेगा ।
37. ट्रस्ट अपने समस्त आय एवं लाभ कालान्तर एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु ही व्यय करेगा ।
38. किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु पाली क्लिनिक का निर्माण करना ।
39. किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु नवीन बीजों को जानकारी देना । फल एवं औषधि खेती के विषय में जानकारी देना एवं उत्पादन किए गये माल का आयात व निर्यात करना ।
40. संगठन को मजबूत एवं क्रियाशील बनाने के लिए जिला प्रवेश देश पर पदाधिकारियों का चयन करना एवं अधिकार देना ।

Tankaj Kr. Singh

क्रमशः —6/— पर



Tankaj Kr. Singh
Manager
Sunbeam Senior Secondary School
M. Bad Gohna-Mau

Principal

Sunbeam Senior Secondary School
M. Bad Gohna-Mau

2010174

2016150
omw no 10165

[Handwritten signature]
2-2-15



मुख्य कोषाधिकारी
कोषागार मऊ



[Handwritten signature]
Principal
Sundaram Senior Secondary School
M. Bad Gonia Mau

[Handwritten signature]
Manager
Sundaram Senior Secondary School
M. Bad Gonia Mau



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CD 393880

(6)

41. दलित पिछड़ों अल्प संख्यकों को संगठन बनाकर समाज में फैली बुराइयों को दूर करना एवं सामाजिक स्तर राजनैतिक स्तर आर्थिक स्तर को मजबूत बनाना ।
42. धरना , प्रदर्शन कार्यक्रम, गोष्ठी, सम्मेलन, संमिनार वार्षिक अधिवेशन के माध्यम से अपनी बात प्रशासन तक पहुँचाना ।
43. शिक्षण व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए हास्टलों का निर्माण करना ।
44. सेक्योरिटी गार्ड का प्रशिक्षण देना तथा उनको संजगर उपलब्ध कराना ।
45. अन्य सोसायटी अथवा ट्रस्ट को समायोजित कर सकता है ।
46. चिकित्सालयों का निर्माण एवं उनका संचालन कर सकता है, अन्य चिकित्सालयों को ट्रस्ट द्वारा समायोजित कर संचालित करना ।
47. रंगमंच को बढ़ावा देना तथा रामलीला नाटक तथा अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के मंचन की तैयारी व उनका मंचन कराना ।
48. देश एवं विदेशों से वित्तीय सहयोग प्राप्त करके शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना ।
49. समाज के उत्थान के लिए धार्मिक कार्यक्रम कराना ।
50. योगा का जगह-जगह कार्यक्रम कराना ।
51. ट्रस्ट किसी भी इण्डीस्ट्रीज को अप्रने अन्दर समाहित कर सकता है।
52. संस्था को आगे बढ़ाने के लिए 12ए, 80जी, 10/23 व 35 एक्ट के अन्तर्गत मिलने वाली भूमि प्रदान करना ।
53. केन्द्र सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जाने वाली समस्त परियोजना को जनता के हित में संचालित करना एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले पीड़ित लोगों को सम्मथन एवं लाभान्वित करना आदि।
54. आयकर अधिनियम 1961 की सुसंगत धाराओं का पालन किया जाता रहेगा ।

सुविधाओं को

Bankaj Kr Singh

ट्रस्ट का कार्यकाल - ट्रस्ट का कार्यकाल आजीवन रहेगा एवं इस ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी का कार्यकाल जीवन पर्यन्त होगा, वह जब तक जीवित रहेगा अपने पद पर बना रहेगा । प्रथम ट्रस्टी के अन्त के बाद संस्थापक ट्रस्टी प्रथम की पत्नी/पुत्र/पुत्रवधू/पुत्री क्रमशः जो भी हो संस्थापक ट्रस्टी/मुख्य ट्रस्टी के पद को धारण करेंगे, इनके न रहने पर संस्थापक ट्रस्टी प्रथम की वंशावली में से कोई इस पद को धारण करेगा। इसके लिए ट्रस्ट (न्यास) समिति के सदस्यों का जो भी निर्णय होगा, मान्य होगा। कोई पुत्र या पुत्री होने की दशा में मुख्य ट्रस्टी पद के लिए ट्रस्ट (न्यास) समिति के सदस्यों का जो भी निर्णय होगा वह मान्य होगा ।

Bankaj Kr Singh

क्रमशः ---7/- पर



Bankaj Kr Singh

Manager

Sunbeam Senior Secondary School
M. Bad Gohna-Mau

Bankaj Kr Singh

Principal

Sunbeam Senior Secondary School
M. Bad Gohna-Mau

न 01073

omw no 10165

क. 2-65



(2)



Principal
Sunbeam Senior Secondary School
M. Bad Ganna-Maj

Manager
Sunbeam Senior Secondary School
M. Bad Ganna-Maj



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CD 393881

(7)

- ट्रस्ट की विधिक प्रतिबद्धता - राष्ट्रीय जनसेवा ट्रस्ट संज्ञीकृत अधिनियम 21, 1960 के अन्तर्गत भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अन्तर्गत ।
- ट्रस्ट की सदस्यता - ट्रस्ट में संस्थापक ट्रस्टी प्रथम एवं महासचिव संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय को मिलाकर कुल सदस्यों की संख्या 7 होगी एवं ट्रस्ट में किसी सदस्य का स्थान रिक्त होने पर संस्थापक ट्रस्टी प्रथम की सहमति से 51,000.00 रुपये (इक्यावन हजार रुपये) सदस्यता शुल्क जमा कराकर नया स्थायी सदस्य बनाया जा सकता है। यह संस्थापक ट्रस्टी प्रथम के वंशावली पर लागू नहीं होगा तथा इस ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के ट्रस्ट अलग से प्रबन्धकारिणी समिति बना सकती है। जिसमें ट्रस्ट के सदस्य सम्मिलित होंगे एवं इसके अतिरिक्त ट्रस्ट के प्रति हितैषी भाव रखने वाले तथा आवश्यकतानुसार आर्थिक मदद करने वाले व्यक्ति से रु0 51,000.00 (इक्यावन हजार रुपये) सदस्यता शुल्क जमा कराकर नये सदस्य बनाये जा सकते हैं। जिसका कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा एवं प्रबन्ध समिति में प्रबन्धक संस्थापक ट्रस्टी/मुख्य ट्रस्टी ही होगा तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य सभी संस्थाओं के प्रबन्धक भी संस्थापक /मुख्य ट्रस्टी ही होगा या संस्थापक ट्रस्टी/ मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट के किसी सदस्य को अंशकालिक प्रबन्धक नियुक्त किया जा सकता है जिसका अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष होगा । संस्थापक /मुख्य ट्रस्टी कभी भी नियुक्त प्रबन्धक को कारण बताकर हटा सकता है।


ट्रस्टी के अधिकार एवं कर्तव्य-

मुख्य ट्रस्टी / संस्थापक ट्रस्टी प्रथम -

1. संरक्षक ट्रस्टी (न्यास) के सभी शाखाओं एवं उपशाखाओं तथा जुड़ी संस्था के सदस्यों को आवश्यक निर्देश देगा ।
2. मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट (न्यास) के कार्यहित में लिये गये निर्णय सर्वमान्य होंगे।
3. संस्था के साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी समिति के सभी बैठकों की अध्यक्षता करना ।
4. किसी भी विचारणीय विषय पर समानमत होने पर एक निर्णायक मत देना ।
5. आवश्यक कागजात पर हस्ताक्षर करना एवं कार्यान्वित करना ।
6. ट्रस्ट (न्यास) के विकास से सम्बन्धित कार्यक्रमों का परामर्श देना एवं कार्यक्रमों का निर्धारण करना ।

Ranjay Kr Singh

क्रमशः —8/- पर



Ranjay Kr Singh
Manager

Sunbeam Senior Secondary School
M. Bad Gohna-Mau

Prakash Ch-
Principal

Sunbeam Senior Secondary School
M. Bad Gohna-Mau

9010172

450/50

am no 10165

[Handwritten signature]
3-2-15

मानव संसाधन विभाग
पुणे



पृष्ठ संख्या - 1/1

[Handwritten signature]
Principal
Sunbeam Senior Secondary School
M. Bad Gohna

[Handwritten signature]
Manager
Sunbeam Senior Secondary School
M. Bad Gohna





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


CD 393882

(8)

7. ट्रस्ट (न्यास) वाह्य एवं आन्तरिक नीतियों का निर्धारण करना एवं ट्रस्ट (न्यास) के विकास के विभिन्न संसाधन इकट्ठा करना व ट्रस्ट (न्यास) के पदाधिकारियों व सदस्यों को तत्सम्बन्धित कार्यवाही से अवगत कराना ।
8. मुख्य ट्रस्टी द्वारा संस्थाओं के लिए भूमि भवन का क्रय-विक्रय लीज (पट्टा) करना किसी अन्य प्रकार से अन्तरित करना एवं वादों का निस्तारण की पैरवी करना ।
9. मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी संस्था की चल - अचल सम्पत्तियों को ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति के लिए बेच या खरीद सकता है।
10. मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए देश-विदेश से अनुदान/दान प्राप्त कर सकता है एवं उसे खर्च कर सकता है। ट्रस्ट के लिए सहयोग, चन्दा, आमजनता किसी भी व्यक्ति, फर्म, एसोसिएशन, किसी अन्य न्यास या कॉर्पोरेट बॉडी इत्यादी से धनराशि बिना शर्त या सर्शत स्वीकार करना एवं विवेकानुसार उसे व्यय करना ।
11. संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति, अनुशासनात्मक कार्यवाही, पदोन्नति, निलम्बन व बर्खास्तगी करने का अधिकार मुख्य ट्रस्टी के पास सुरक्षित है।
12. संस्थापक / मुख्य ट्रस्टी किसी भी समय किसी सदस्य को कारण बताकर निकाल सकता है ।
13. किसी भी सामान्य उद्देश्य से किसी अन्य ट्रस्ट (न्यास) संस्था/समिति का संचालन एवं उसका विलय अपने (ट्रस्ट) में कर सकता है।
14. ट्रस्ट के किसी भी सदस्य को नियमों, परिणियमों के विपरित कार्य करने वाले ट्रस्टी को ट्रस्ट से बर्खास्त करना ।

क्रमशः —9/- पर

Pankaj Kr. Singh



Pankaj Kr. Singh
Manager

Sunbeam Senior Secondary School
M. Bad Gohna-Mau

Seeha Ch
Principal

Sunbeam Senior Secondary School
Bad Gohna-Mau

501071

10/150

dnr n/10165

क. र. ल. म.
2-2-15

मुख्य सचिव का कार्यालय
मुंबई



Principal
Subash Senior Secondary School
353 Gomti Nagar

Manager
Subash Senior Secondary School
M. Bad Gomti Nagar



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CD 393883

(9)

15. ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित संस्थाओं, कार्यक्रमों, क्रियाकलापों में निर्धारित शर्तों व वेतन पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को न्यास के कार्य हेतु नियुक्त करना, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करना, पदोन्नति एवं पदच्युत करना। न्यास के ऐसे कार्यों को किसी भी न्यायालय या ट्रिब्यूनल आदि में विवादित न ही किया जा सके न ही चुनौती दी जा सकेगी।
16. ट्रस्ट द्वारा संचालित विभिन्न संस्थाओं, कार्यक्रमों, क्रियाकलापों आदि के समस्त धनराशियों एवं खातों को संचालन करना। ट्रस्ट के धन को ट्रस्ट के विभिन्न संस्थाओं के विकास एवं चैरिटेबुल कार्यों में व्यय करना।
17. इस ट्रस्ट डीड में उल्लिखित ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली में संशोधन/परिवर्तन कर सकना जो की रजिस्ट्रार के यहां रजिस्ट्रीयकृत होने की दिनांक से मान्य होगा।

प्रारम्भिक उपबन्ध -

1. वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पंजीकृत के दिनांक से पंकज कुमार सिंह जो की न्यासकर्ता एवं इस न्यास उलेख के रचयिता भी है को इस ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्ट अध्यक्ष सुनिश्चित किया जाता है।
2. यदि कोई अन्य व्यवस्था वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष पंकज कुमार सिंह द्वारा रजिस्ट्रार के यहां रजिस्ट्री कर सुनिश्चित न की जाय जो पंकज कुमार सिंह की मृत्यु के पश्चात् उनके बड़े पुत्र इस ट्रस्ट के ट्रस्टी होंगे।
3. वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही जब चाहे अपना उत्तरादायित्व अपने उत्तराधिकारी को स्थानान्तरित कर सकते हैं।
4. ट्रस्टी / अध्यक्ष कुछ समय के लिए अपना पद हस्तान्तरित कर सकता है।

Pankaj Kr-Singh



Pankaj Kr-Singh
Manager
Sunbeam Senior Secondary School
M. Bad Gohna-Mau

क्रमशः —10/- पर

Ashish Ch.

Principal
Sunbeam Senior Secondary School
M. Bad Gohna-Mau

7010170

10150


dw no 10165

[Handwritten signature]
3-2-15



[Handwritten signature]
Principal
Sunbeam Senior Secondary School
M. Bad Gouna Mau

[Handwritten signature]
Manager
Sunbeam Senior Secondary School
M. Bad Gouna Mau



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


CD 393884

(10)

मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पर का उत्तराधिकारी/ हस्तान्तरण

1. मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह अपने काल में अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का व्यवस्था कर दें।
2. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन में ही मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष का पद किसी को प्रदान कर सकता है।
3. किसी भी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का पद बनते ही वह सब सभी अधिकार प्राप्त हो जायेगी तो इस ट्रस्ट डीड के मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष के प्रदत्त किये गये।
4. मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी की घोषणा न कर पाने एवं व्यवस्था करने से पूर्ण मृत्यु हो जाने की अवस्था में मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष पद पर आसिन व्यक्ति का व्यक्तिगत उत्तराधिकारी की ट्रस्टी का भी मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष बनेगा। कोई असुविधा होने पर उत्तराधिकारी नियम की व्यवस्थाओं से मार्ग दर्शन प्राप्त किया जा सकता है।
5. मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष को चाहिए कि वह अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर करके व्यक्त कर दे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यह व्यवस्था रजिस्ट्रार के यहा रजिस्टर्ड करा के अथवा अपनी वसीयत द्वारा भी सुनिश्चित कर सकता है। इस सन्दर्भ में यह भी स्पष्ट करना है कि कार्यालय मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष द्वारा अपने जीवन काल के उत्तरार्द्ध में की गई वसीयत/इच्छा/ व्यवस्था ही अन्तिम /रूप से मान्य होगी।
6. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष अपने जीवन काल में अपना कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को वास्तविक रूप से हस्तान्तरित कर देता है तो वह अपने निर्णय पर पुनः विचार कर सकेगा।
7. कार्यालय मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष कभी अपने उत्तराधिकारी हस्तान्तरण विषय पर विचार एवं पुनः विचार करने हेतु स्वतंत्र है।
8. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी को दिया गया कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकारों सहित पूर्ण माना जायेगा।

Tankaj Kr. Singh



Tankaj Kr. Singh
Manager
Sunbeam Senior Secondary School
M. Bad Gohna-Mau

क्रमशः —11/— पर

Leahy/Ch
Principal
Sunbeam Senior Secondary School
M. Bad Gohna-Mau

9010169

50100

am no 10165

[Handwritten signature]
2-2-15



जय श्री गणेशाय नमः
प्रशासनिक प्रभाग



[Faint handwritten text]
Principal
Sudham Senior Secondary School
M. Bad Gonna-Ma

[Faint handwritten text]
Manager
Sudham Senior Secondary School
M. Bad Gonna-Ma



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CD 393885

(11)

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज -

- यह कि 4 - बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज- यदि उचित समझ ता विषयों पर विचार विमर्श करने एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है । जिसमें कि अधिकतम ग्यारह सदस्य होंगे । और जरूरत पड़ने पर कम और अधिक किया जा सकता है ।
- यह कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज- किसी भी व्यक्ति को ट्रस्टी मनोनीत करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा ट्रस्टी की कार्य अवधि बोर्ड आफ ट्रस्टीज तथा मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा पर निर्भर करती है तथा मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही बिना किसी को कोई कारण बताए ट्रस्टी के पद से हटा सकता है ।
- यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष जब भी उचित समझ बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक आयोजित कर सकता है जिसकी अध्यक्षता मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं करेगा ।
- यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज उन्ही विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा जिनको मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा ।
- यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा किये गये किसी सुझाव को मानना स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है । उस सन्दर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एवं अन्तिम होगा ।

उपाध्यक्ष की नियुक्ति-

- मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने व देखभाल करने के लिए उपाध्यक्ष की नियुक्ति एवं आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम दो उपाध्यक्षों की नियुक्ति कर सकेगा ।
- यह कि उपाध्यक्ष / उपाध्यक्षों के वेतन भत्ते सुविधायें कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेंगे ।
- यह कि उपाध्यक्ष / उपाध्यक्षों, मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगे ।
- मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी समय बिना किसी को कोई कारण बताए उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक अनुशासनात्मक/प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा उक्त कार्यरत व्यक्ति को उनको पदों से हटा सकता है तथा इन पदों पर नियुक्तियां कर सकता है, अथवा उक्त पदों के कर्तव्य एवं अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित प्रदान कर सकता है ।

Ranjay Kr-Singh



Ranjay Kr-Singh
Manager
Sunbeam Senior Secondary School
M. Bad Gohna-Mau

क्रमशः —12/- पर

Principal

Sunbeam Senior Secondary School
M. Bad Gohna-Mau

9010168

210150

anr no10165

Handwritten signature and date: 3-2-15

प्राथमिक शिक्षण विभाग
मुंबई



08 32000

UTAR PRADESH



Principal
Sunbeam Senior Secondary School
M. Bad Gonna-Muz

Handwritten signature
Manager
Sunbeam Senior Secondary School
M. Bad Gonna-Muz



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CD 393886

(12)

ट्रस्ट में निम्नलिखित व्यक्तियों ने ट्रस्टी सदस्य बनने हेतु अपनी सहर्ष सहमति प्रदान किये हैं।

1. श्रीमति आशा देवी पत्नी श्री हृदय नारायण सिंह ग्राम-सिगाड़ी, पोस्ट - कोलौरा, तहसील मुहम्मदाबाद गोहना जनपद-मऊ (उ०प्र०) (सदस्य)
2. श्रीमति शमीमा बानो पत्नी श्री मुजीब खान ग्राम-नालौरपुर, पोस्ट-हलीमाबाद, तहसील मुहम्मदाबाद गोहना जनपद-मऊ (उ०प्र०) (सदस्य)
3. पंकज कुमार सिंह पुत्र श्री हृदय नारायण सिंह ग्राम-सिगाड़ी पोस्ट-कोलौरा जनपद-मऊ (उ०प्र०) [मुख्य संस्थापक/अध्यक्ष]

सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य -


Pankaj Kr Singh

ट्रस्ट के समस्त कार्यों के लिए ट्रस्ट का सचिव अन्तिम रूप में कार्यरत एवं उत्तरदायी है ट्रस्ट के सचिव के निम्न कर्तव्य एवं अधिकार हैं।

1. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु सभी उपाय एवं कार्यवाही करना है।
2. ट्रस्ट के अन्तर्गत हाने वाले सभी क्रियाकलापों एवं दिन प्रतिदिन गतिविधियों पर नियंत्रण करना।
3. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित कार्यों हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति पद मुक्त तथा उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक प्रशासनिक कार्यवाही कर सकना।
4. विभिन्न कार्यकलापों उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु शोधियों/विभागों केन्द्रों/संस्थाओं/उपसंस्थाओं का गठन कर सकना तथा उनके संयोजकों पदाधिकारियों आदि का संचालन हेतु आवश्यकतानुसार नियम/उपनियम बना सकना।
5. ट्रस्ट का अध्यक्ष ट्रस्ट की ओर से चल / अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी लेखविलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतया समर्थ एवं अधिकृत है।
6. ट्रस्ट चल / अचल सम्पत्ति कय - विक्रय कर सकता है।

क्रमशः —13/- पर

Pankaj Kr Singh



Pankaj Kr Singh
Manager
Sunbeam Senior Secondary School
M. Bad Gohna-Mau

Seabir Singh
Principal
Sunbeam Senior Secondary School
M. Bad Gohna-Mau

2010/67

2010/67

2010/65

Handwritten signature and date 2-2-15



Principal
M. Bab Ganga

Manager
M. Bab Ganga



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(13)

CD 393887

7. ट्रस्ट संख्या को प्राप्त किसी शिकायत की जाँच निर्णायक नियुक्त कर सकना ।
8. एक से अधिक विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त होने की स्थिति में उसका कार्य विभाजन कर सकना ।
9. प्रचार / प्रसार / मुद्रक/प्रकाशन / वितरण / विक्रय की सर्वोत्तम व्यवस्था करना ।
10. जन सामान्य के कल्याणार्थ विभिन्न आयोजन कर सकना ।

उप सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य-

1. सचिव की अनुपस्थिति में उसके पद के अधिकार एवं कर्तव्य का पालन करना ।
2. सचिव द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत करने पर उन अधिकार/कर्तव्यों का पालन करना जो उसे लिखित रूप से प्राप्त हो ।
3. सचिव द्वारा लिखित रूप से कार्यभार/कर्तव्यों का पालन करना ।

बैंक एकाउण्ट करना -

1. ट्रस्ट का खाता किसी भी बैंक में खोला जा सकता है । मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष स्वयं अथवा उसके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार खाता खोल सकता है अथवा संचालित कर सकता है ।
2. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय/ महाविद्यालय/ संस्थान/केंद्र/कार्यक्रम ईकाई कार्यालय का पृथक नाम से खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है । इस स्थिति में स्वयं ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत बैंक खाता खोला जा सकता है अथवा संचालित किया जा सकता है ।
3. मैनेजिंग /अध्यक्ष हर जगह का खाता अकेला स्वयं चला सकता है ।

विधिक कार्यवाही -

यदि संस्था/ ट्रस्ट की तरफ से कोई विधिक कार्यवाही की जाती है या उसके विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही की जाती है तो सचिव/अध्यक्ष की अनुमति से अधिवक्ता की नियुक्ति एवं विभिन्न न्यायालयों पैरवी स्वयं या अन्य को अधिकृत कर सकता है ।

1. ट्रस्ट चल/ अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में भी वह सभी अधिकृत रखता है जो कि एक नागरिक/व्यक्ति को प्राप्त होते हैं । ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से कोई निर्णय लेने/ लेख-विलेख बनाने हेतु अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है ।

Tankaj Kr. Singh

क्रमशः ---14/- पर



Tankaj Kr. Singh
Manager
Sunbeam Senior Secondary School'
M. Bad Gohna-Mau

Tejinder Kaur
Principal

Sunbeam Senior Secondary School'
M. Bad Gohna-Mau

2010166

100 100

Om m 10165

Handwritten signature and date: 2-2-15



Principal
M. Bad Gohna

Manager
M. Bad Gohna



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CD 393888

(14)

1. ट्रस्ट के अध्यक्ष ट्रस्ट की ओर संचल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी लेख-विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतया समर्थ एवं अधिकृत है।
2. ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति कय-विकय कर सकता है, देहन रख सकता है, किराये पर दे सकता है अथवा ले सकता है।
3. ट्रस्ट किसी से ऋण दान उपहार आग्रह भेट सम्मान पुरस्कार स्मृतिचिन्ह मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है और दे सकता है।
4. ट्रस्ट धन को कहीं भी विनियोजित कर सकता है सुरक्षित कर सकता है किसी बैंक संस्था कम्पनी आदि की किसी योजना में धन / सम्पत्ति का विनियोजन कर सकता है।
5. चल-अचल सम्पत्ति की प्रतियभूमि भाड़ा कय अनुप्राप्त बन्धक भरित गिरवी विभाजित आदि कर सकता है/ले सकता है, दे सकता है।

क्लब:- क्लब की जगह - जगह स्थापना करना क्या राष्ट्रहित देशप्रेम व समाज के लिए समाजिक काम करना देश प्रेम के लिए लोगों को प्रेरित करना।

1. सद्भावना क्लब मु0बाद गोहना जरूरत पड़ने पर क्लब की ब्रान्च भी जगह जगह खोलना

समाचार :- समाचार पत्र -पत्रिका उपन्यास आदि के लिए कम्पनी - फर्म आदि का जगह-जगह निर्माण एवं स्थापना करना दैनिक समाचार भी जरूरत पड़ने पर निकालने की पूर्ण आजादी जिसका कुछ नाम भी इस ट्रस्ट के द्वारा निर्धारित करना तथा चलाना / इसका मूल्य भी ट्रस्ट के द्वारा निर्धारित करना। तथा उसी मूल्य के आधार पर लागू करना।

जिम/योगा/खेल : बच्चों/महिलाओं./पुरुषों के उत्थान के लिए खेल तथा योगा / जिम आदि का जगह -जगह खोलना तथा लागत मूल्य के आधार पर ही उसका मूल्य भी निर्धारित करना। जिससे ट्रस्ट का खर्च तथा ट्रस्ट समाज सेवा भी कर सके।

1. क्रिकेट एकेडमी
2. हॉकी एकेडमी
3. फुटबाल एकेडमी
4. वॉली बाल एकेडमी
5. बैटमिंटन एकेडमी
6. लॉन टेनिस एकेडमी

Ranjay K. Singh

क्रमशः ---15/- पर



Ranjay K. Singh
Manager

Sunbeam Senior Secondary Sch.
M. Bad Gohna-Mau

Principal
Sunbeam Senior Secondary School
M. Bad Gohna-Mau

नं 10165

₹ 1000

पंकज कुमार सिंह

५/० हनुमानगढ़ रोड सिंह

सि राई

हनुमानगढ़, मऊ

[Handwritten Signature]
3-2-15



[Faint handwritten text]

Pankaj K Singh

पंकज कुमार सिंह



[Handwritten signature]



उपरोक्त चिन्ह अनुसृत प्रकृतः सन्ध्या साक्षियों के नियमानुसार विद्यमान है।

[Handwritten Signature]
मुख्य अधिकारी
हनुमानगढ़-मऊ
3-2-2015

[Faint official stamp and text at the bottom left corner]

[Faint official stamp and text at the bottom center]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(15)

CD 393889

विशेष-

(क) इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित / कार्यरत किसी भी विद्यालय / महाविद्यालय / कार्यक्रम / इकाई / कार्यालय / संस्था उपक्रम के कार्य संचालन हेतु पृथक से नियम / उपनियम बनाये जा सकते हैं परन्तु यदि वह इस डीड आफ ट्रस्ट "आशा नारायण एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट" के उद्देश्य एवं नियमावली के किसी भी प्राविधान का अतिक्रमण करते हैं तो वह नियम / उपनियम अतिक्रमण की सीमा तक शून्य होंगे।

(ख) अध्यक्ष / ट्रस्टी यदि उचित समझे तो किसी / किन्हीं परिस्थितियों में इस ट्रस्ट डीड के किसी / किन्हीं प्राविधान / प्राविधानों को शिथिल कर सकते हैं तथा प्राविधान / प्राविधानों के होते हुए भी अन्यथा निर्णय ले सकते हैं। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष का विवेक व्यवस्था ही अन्तिम होगी। इस धारा के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा की गयी किसी भी कार्यवाही को कहीं भी किसी न्यायालय में चुनौति नहीं दी जा सकेगी। "आशा नारायण एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट"

की उक्त न्यास विलेख एवं उसमें सन्निहित "आशा नारायण एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट" के उद्देश्य एवं नियमावली एतद्वारा अधिनियम घोषित स्वीकृत आत्मार्पित एवं तत्काल से कार्यान्वित की जाती है कि उक्त न्यास विलेख को पढ़कर एवं समझकर व्यवहार में लाने हेतु निम्न साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर दिये गये।

साक्षी गण



MAHABOOR
MORABAHAN
MAHABOOR
MAHABOOR(MAU)

पंकज कुमार सिंह

पुत्र श्री हृदयनाराण सिंह

(संस्थापक / अध्यक्ष)

"आशा नारायण एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट"

1. नाम

पता

2. नाम

पता



TANKAR SINGH
MORABAHAN
पुंशीपुंशी मंडल

Tankar Singh
Manager
Sunbeam Senior Secondary School
M. Bad Gohna-Mau

मजबूत कर्ता


सुबेय्य सुबेय्य सुबेय्य
ब न न न न न न न न न न
न न न न न न न न न न

Principal

Sunbeam Senior Secondary School
M. Bad Gohna-Mau

दिनांक:

2586
 100 6-8-15
 नाम पंजाब



व्याप्त पत्र
 510000 510 550 700
 पंजाब लुधियाना जिला मऊ
 में कार्यालय से निल मु. बाद गोहना में आज
 दिनांक 3-2-2015 समय ठीक के
 बीच पेश की

Tankaj K Singh

उप निबंधक
 मु. बाद गोहना
 03/02/2015



~~तहसीर तकमिल दस्तावेज हाजा व वसूल याकी
 मू. बाद गोहना
 पहिले/नयाद पाकर श्री पंजाब लुधियाना जिला मऊ~~

न स्वीकार किया जिसकी पहचान श्री लोदी काला
 निवासी मुन्शी बुध मऊ
 श्री प्रद्युम्न लुधियाना जिला मऊ

उप निबंधक
 मु. बाद गोहना
 3-2-2015

Principal
 Senior Center Secondary School
 M. Bad Gohna

Manager
 Senior Center Secondary School
 M. Bad Gohna